



न्यायालय - माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - 140/2010/अपील

श्रीमती पुष्पी बेबा श्री मुंशी तथा
बहेसिक्त तरपरस्त अक्षयसू पुत्री
गुंडडी पुत्री मुंशी, अनीता, मण्ठा
पुत्रियाँ मुंशी निवासी - ग्राम
बिलोकला तहसील ब जिला शिवपुरी

अपीलार्थी गण
बनाय

मध्य प्रदेश शासन - प्रत्यर्थी

आर. प्रम. से गट, अमिताभ
याच दि. 1-2-2010 को प्रस्तुत।

अवर सचिव
12/2/2010

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 44(2), म.प्र. भू-राजस्व संहिता
1959

न्यायालय अपर आयुक्त महोदय सम्भाग, ग्वालियर द्वारा
प्रकरण क्रमांक-557/2008-09/अपील में पारित आदेश दिनांक
14-12-2009 से परिशोधित होकर द्वितीय अपील प्रस्तुत है।
- - 5 5 - - - - -

महोदय,

अपील निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है :-

1। यह कि, अपीलार्थी के भूमिस्वामी स्वतन्त्र की भूमि स्थित
ग्राम बिलोकला तहसील क्रमांक-1156 रकबा 1.25 हेक्टर उनसे
आधिपत्य में होकर शासन द्वारा 1984 के पूर्व से भूमिस्वामी
हक दिये गये हैं। अपीलार्थी द्वारा उक्त भूमि को विक्रय करने
की अनुमति हेतु आदेश-पत्र कलेक्टर जिला शिवपुरी के
न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिसे कलेक्टर शिवपुरी द्वारा
प्रकरण क्रमांक-35/2007-08/अ-21/2 में पारित आदेश
दिनांक 20-8-2008 द्वारा अपीलार्थी का आदेश निरस्त
किया गया।

S. Sangay
1-2-10

1-2-10

M

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26.4.16	<p>आवेदक अति. सी. आर. एस. कोंगर उपज आला. की ओर से प्रारम्भिक फोन अति. उपज रिपोर्ट मंगाना कार्य</p> <p>दि. 12-7-16</p>	<p>12/7/16</p> <p><i>[Signature]</i></p>
12.7.16	<p>आवेदक अति. सी. आर. एस. कोंगर उपज अनपेक्षित का कारण से प्रारम्भिक फोन अति. म. जार्वन उपज निगरानी का कोई अपेक्षा न होने से अतीत या समय अर्थात् खर्चों की जाती है रिपोर्ट दायित्व</p> <p>है।</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>12/7/16</p>

M ✓